-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने वाले 01 अन्य शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से लूट का सामान व अवैध तमंचा कारतूस बरामद।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने वाले 01 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि जनपद हरदौई के रहने वाले चन्द्रप्रकाश द्वारा दिनांक 05.08.2025 को थाना कोतवाली देहात पर सूचना दी गई थी कि प्रार्थी थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत किराये के मकान में रहता है तथा डारेक्ट सेलिंग एजेंट के रुप में लोन दिलवाने का कार्य करता है। कुछ दिन पूर्व 04 व्यक्तियों द्वारा लोन करवाने के बहाने प्रार्थी को ग्राम गुरेह के पास ले जाकर उसके साथ मारपीट कर 14000/ रुपये, लैपटॉप व दो मोबाइल फोन छीन कर भाग गये थे। सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। जिसके क्रम में दिनांक 06.08.2025 को 01 अभियुक्त कल्लू पुत्र अहमद निवासी परशुराम तालाब थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिसके कब्जे से लूट के 14000/ रुपए बरामद किए गए थे। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी रखते हुए आज दिनांक 15.12.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे के नीचे तिंदवारी रोड़ से घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त नईम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट का पूरा सामान बरामद कर लिया गया है, साथ ही अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद हुआ है। घटना में शामिल अन्य 02 वांछित अभियुक्त आशीष पुत्र भूपत व अशरफ निवासीगण थाना गिरवां जनपद बांदा की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है, जल्द ही वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

वर्तमान बरामदगी-

- 01 अदद लैपटॉप (ASUS)
- 02 अदद एंड्रॉइड फोन
- 01 अदद तमंचा 315 बोर
- 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

पूर्व बरामदगी-

- 14000/ रुपए नगद

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नईम अली पुत्र मोहम्मद खालिक निवासी परशुराम तालाब थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कल्लू पुत्र अहमद खान निवासी परशुराम तालाब थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 192/25 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 344/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष कोत0 देहात श्री चन्द्रप्रकाश तिवारी
2. उ0नि0 श्री अंकुर खारी
3. कां0 सचिन पटेल
4. कां0 ऋषिराज